राजस्थान सरकार **अति–आवश्यक**

# ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ186 ( )/परावि/लेखा/हडको/ब्याज/2011–12/965 जयपुर, दिनांकः–20-02-2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।
(सीकर एवं झुन्झुनू को छोडकर)

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।
(सीकर एवं झुन्झुनू को छोडकर)

**विषयः**–मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के तहत् ऋण अवमुक्ति पर वर्ष 2012–13 के चतुर्थ त्रैमास के ऋण एवं ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में।

**प्रसंगः**–विभागीय समसंख्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 30 एवं 31 दिनांक 19.02.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में विभिन्न जिला परिषदों को हड़को द्वारा अवमुक्त ऋण राशि पर हडको की मांग अनुसार विभागीय पत्र क्रमांक 896 दिनांक 19.02.2013 (स्वीकृति सं. 30/2012–13) के द्वारा सम्बन्धित जिला परिषदों को हड़को को वर्ष 2012–13 के चतुर्थ त्रैमास (12/12 से 02/13) के ऋण के ब्याज पेटे भुगतान हेतु राशि 3209.02 लाख रूपये एवं पत्र क्रमांक 897 दिनांक 19.02.2013 (स्वीकृति सं. 31/2012–13) के द्वारा मूलधन के पेटे भुगतान हेतु राशि 2183.96 लाख रूपये अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। इसके क्रम में वित्त (आय व्ययक) विभाग की स्वीकृति क्रमशः क्रमांक एफ–4 (232) वित्त–1 (1) आ. व्यय/2011/ दिनांक 20.02.2013 (स्वीकृति सं. 711/2012–13) एवं स्वीकृति क्रमांक एफ–4(232) वित्त–1(1) आ. व्यय/2011/ दिनांक 20.02.2013 (स्वीकृति सं. 712/2012–13) के द्वारा उक्त राशियो को सम्बन्धित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति भी जारी कर दी गयी है। उक्त दोनो स्वीकृतियां विभाग की एवं वित्त विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध हैं। उक्त स्वीकृतियों के अनुसार राशि का उपयोग जिला परिषदों द्वारा हडको को ऋण एवं ब्याज के विरूद्ध देय चतुर्थ त्रैमास (12/12 से 02/13) के भुगतान के लिए किया जाना हैं।

**अतः आप दिनांक 28.02.2013 तक आवश्यक रूप से हडको से लिये गये ऋण एवं ऋण के ब्याज का भुगतान अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार गणना की जाँच कर R.T.G.S./N.E.F.T. के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो दण्डात्मक ब्याज के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी सहित सभी की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।**

20.2.13

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको ज्योति नगर जयपुर।
5. प्रोग्रामर कम्प्युटर मुख्यालय को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार